उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 221 –काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि /19–03–काविनी/2019 दिनांक 25 फरवरी, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा
केस्को–कानपुर।

परिपत्र/ महत्वपूर्ण

विषय : कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं पुनरीक्षण के अवसर पर वचन बद्धता (undertaking) लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि विभिन्न वेतन आयोग में वेतन पुनरीक्षित किये जाने एवं नियमानुसार वेतन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान एवं दिशा–निर्देश, समय–समय पर कारपोरेशन आदेशों के माध्यम से प्रसारित किये जाते हैं। वेतन निर्धारण के उक्त आदेशों को लागू करने की प्रकिया मे यदाकदा आदेशों में निहित प्राविधानों एवं उपबन्धों के त्रुटिपूर्ण आशय निकाले जाने के कारण कई बार वेतन निर्धारण/पुनरीक्षण त्रुटिपूर्ण हो जाया करता है। यद्यपि वेतन निर्धारण सम्बन्धी कारपोरेशन आदेशों के प्राविधानों के अनुसार यदि किन्हीं कारणों से उचित वेतन निर्धारण न होने के फलस्वरूप अधिक धनराशि भुगतान हो जाने की स्थितियाँ हों, तो सम्बन्धित कार्मिकों से इस आशय की लिखित वचनबद्धता (undertaking) प्राप्त किया जाना भी प्राविधानित किया जाता रहा है जिससे कि अधिक आहरित धनराशि कारपोरेशन को वापस की जा सके।

2. सामान्य वेतन पुनरीक्षण के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों के निर्धारण के अतिरिक्त कार्मिकों के अन्य देय यथा समयबद्ध वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता/प्रोन्नति पर अनुमन्य वित्तीय लाभ एवं अन्य किसी रूप में सम्बन्धित कार्मिक को देय लाभ, जिनमें वेतन एवं भत्तों में बढ़ोत्तरी अन्तर्निहित हो, सम्बन्धित मामलों में तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार वेतन निर्धारण किये जाने में कभी–कभी चूकवश अथवा आदेशों में निहित प्राविधानों/उपबन्धों के त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप अथवा किसी भी अन्य कारण से सम्बन्धित कार्मिकों को नियमानुसार अनुमन्य देयता से अधिक वेतन/धनराशि प्राधिकृत/आहरित हो जाती है।

3. कार्मिकों के वेतन निर्धारण अथवा अन्य किसी प्रकार के देय के सम्बन्ध में निर्गत स्वीकृति–आदेश में अनुमन्यता से अधिक आहरित धनराशि वापस किये जाने/वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में लिखित वचनबद्धता (undertaking) के अभाव में, विशेष रूप से विधिक विवादों से सम्बन्धित प्रकरणों में अधिक भुगतान/आहरित धनराशि वापस/प्रत्याप्ति किये जाने में अनेक जटिलतायें उत्पन्न होना परिलक्षित हुयीं हैं।

(क्रमशः.....2)

विधि/देखें
N. K. Pandey
AO (KA)

4. अतः एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान न हो, कार्मिकों के वेतन निर्धारण/उनके देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनायी जाये तथा उनके भुगतान के पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग (प्रारूप संलग्न) पर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप वास्तविक देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो कार्मिक द्वारा उक्त राशि का समायोजन/वसूली करायी जायेगी।

5. उपरोक्तानुसार कार्यवाही के समुचित क्रियान्वयन के सन्दर्भ में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि–

(i) यदि प्रत्याप्ति का कोई कारण बनता है/संज्ञान में आता है, तो ऐसे प्रकरण पर प्रत्याप्ति हेतु तत्काल एक औपाचारिक आदेश निर्गत करते हुए तद्नुसार लेखीय प्रविष्टि उसी माह सुनिश्चित करते हुए प्रत्याप्ति पंजिका में इन्द्राज किया जाना तत्पश्चात् उसे निरन्तर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(ii) जब कभी भी वेतन बीजक, पूर्व के वेतन एवं भत्तों की दरों से भिन्न दरों के आधार पर बनाया जायेगा (वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमन्यता पर मूल वेतन में स्वीकृत वृद्धि एवं मँहगाई भत्तों की दरों में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप संशोधित दर से मँहगाई भत्ते की राशि को छोड़कर) तो उस समय उस भिन्नता का कारण अभिलिखित करते हुए कार्मिक से निर्धारित प्रारूप पर वचनबद्धता दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी

(iii) उक्त वचनबद्धता की दोनो प्रतियों पर प्रतिहस्ताक्षर करते हुए, एक प्रति कार्मिक के अधिष्ठान रख–रखाव करने वाले अधिकारी को प्रथमतः कार्यालय की ई–मेल आईडी से मेल तथा माह के अंत में हार्ड प्रति रजिस्टर्ड/पोस्ट से प्रेषित किया जाना होगा।

(iv) अधिक भुगतान की प्रत्याप्ति (recovery) कराते हुए, प्रत्याप्ति कर लिए जाने विषयक सूचना, अधिष्ठान रख–रखाव करने वाले अधिकारी को नियमित रूप से तब तक त्रैमासिक सूचना से अवगत कराते रहेंगे, जब तक वह प्रत्याप्ति पूर्ण न हो जाए।

6. आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित इकाईयों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना कारपोरेशन को भी उपलब्ध करायें।

संलग्नक :– वचनबद्धता का प्रारूप

Aparna. U.
प्रबन्ध निदेशक

सं० 221– (I) काविनी एवं वे०प्र०–29 / पाकालि / 2019 – तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

(क्रमशः....3)

d:\kavini\2017\kavini files 329\2019\03-kavini-2019\letter2.doc

AO (EA)
16/2

4. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड , महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
12. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

भवदीय,

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का०वि०नी०)

वचनबद्धता (Undertaking)

मै यह वचन (Undertaking) देता/देती हूँ कि कारपोरेशन आदेशों में अन्तर्निहित उपबंधों/प्राविधानों के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप यदि अधिक वेतन अनुमन्य/भुगतान की राशि आगणित हो जाती है तो उक्त धनराशि मेरे बकाया भावी भुगतानों में से समायोजित करते हुए या वेतन एवं भत्तों/ऐरियर से अथवा अन्य रीति से, कारपोरेशन को वापस करूँगा/करूँगी।

उपरोक्त अवस्थाओं में कारपोरेशन को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त वचनबद्धता के आधार पर अधिक अनुमन्य/अधिक आहरित भुगतान की धनराशि की प्रत्यापि (recovery) मेरे वेतन एवं भत्तों से करा लेंगें। एतद्द्वारा ऐसी समस्त धनराशि की प्रत्यापि कराने हेतु मैं वचनबद्ध हूँ।

मेरा पूर्ण विवरण निम्नवत् है :–

नाम :–	पदनाम :–
पिता का नाम :–	सम्प्रेक्षा सं0 :–
पैन नं0 (PAN) :–	अभिज्ञान सं0 :–
मोबाईल नं0 :– (1)	(2)
ई–मेल आई0डी0 (बड़े अक्षरों में) (1)	(2)
वर्तमान तैनाती के मुख्यालय का पता :– इकाई का लेखा लोकेशन कोड :–	
वर्तमान डी0डी0ओ0 (आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम) :–	
इकाई जहाँ से वेतन आहरित कराया जा रहा है का पूर्ण पता :–	
इकाई का TAN No.	
वेतन निर्धारण आदेश सं0 :–	
वेतन निर्धारण किये जाने का मद :–	

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर :

नाम :

(पदनाम की मोहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0

(मोहर)
आई0डी0